MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA

FOR ESTABLISHING

INDIA - PAPUA NEW GUINEA CENTRE OF EXCELLENCE IN

INFORMATION TECHNOLOGY

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA

FOR ESTABLISHING

INDIA - PAPUA NEW GUINEA CENTRE OF EXCELLENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY

The Government of Republic of India and the Government of Independent State of Papua New Guinea; hereinafter referred to as the "Parties".

Conscious of their friendly relations and desirous of further strengthening bilateral cooperation in the area of Information & Communication Technology.

Noting in that context the offer by the Government of Republic of India to support development of Information and Communication Technology (further ICT) in Papua New Guinea through establishing "India - Papua New Guinea Centre of Excellence in IT" at the University of Papua New Guinea.

Noting also that a decision was taken by the Government of the Republic of India to provide assistance to the Government of Papua New Guinea for the promotion of Information & Communication Technology by establishing an "India - Papua New Guinea Centre of Excellence in IT" at the University of Papua New Guinea.
Have reached the following understanding:

Vision

Create a pool of knowledge workers and generate employment opportunities by producing world class IT professionals to attract investment into Papua New Guinea and generate revenues through software export.

Mission

To set up the "India - Papua New Guinea Centre of Excellence in IT" at the University of Papua New Guinea.

- To set up a state-of-the-art training facility with latest IT hardware/ software and supply latest course material & reference books

- To utilize CEIT for implementation of distance learning in the area of ICT to School Teachers, University faculty and Government officials in Papua New Guinea
- To provide training in modular certificate courses in basic IT, intermediate level IT and advanced IT at CEIT
- To upgrade the skills of teachers and IT professionals in Papua New Guinea through training of trainers programme
- To impart advance IT training for six months in India to six Master trainers identified for CEIT
- To assist CEIT in centre coordination and course delivery by deputation of two experts from India to Papua New Guinea for two years.
- To connect CEIT in Papua New Guinea to India through Video-Conferencing for conducting on-line / special training programme
- To make CEIT a finishing school in Papua New Guinea to bridge the gap between academia & industry. The same shall be attained by offering industry ready professionals trained on IT courses at CEIT developed in consultation with academia & industry in Papua New Guinea
- To deploy CDAC e-Mentor (e-Learning & LMS) with content at CEIT in Papua New Guinea to enable self paced learning
- To deploy CDAC LILA (**L**earning **I**ndian **L**anguages through **A**rtificial **I**ntelligence) at CEIT in Papua New Guinea to enable self paced learning of Hindi language
- To exchange experts between India & Papua New Guinea for delivery & deployment of IT training, e-Mentor, LILA and project management

Article 1

The Government of the Republic of India shall provide a cooperation package that would involve creation of IT Infrastructure & supply of courseware / reference books; deployment of CDAC's e-learning & language learning software; training of trainers from Papua New Guinea at CDAC in India; deputation of CDAC's experts at CEIT in Papua New Guinea for project management & centre coordination as detailed below:

1. Nominate Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) as implementing agency for the project on behalf of Government of India
2. Setting up of state-of-the-art IT Infrastructure for delivery of planned IT courses & other activities at CEIT in Papua New Guinea
3. Training of six Papua New Guinea trainers for a period of six

months on advance IT courses at CDAC in India

4. Deputation of two CDAC experts to Papua New Guinea for a period of two years for providing assistance in centre coordination and course delivery
5. Deployment of CDAC's e-Learning & Learning Management System (e-Mentor) with content to enable self paced learning for students & teachers at CEIT in Papua New Guinea
6. Deployment of CDAC LILA (**L**earning **I**ndian **L**anguages through **A**rtificial **I**ntelligence) at CEIT in Papua New Guinea to enable self paced learning of Hindi language
7. Providing the necessary course material & reference books for the courses to be imparted at CEIT in Papua New Guinea and India to the students & trainers
8. CDAC certificate to the students successfully passing out of CEIT in Papua New Guinea over the period of two years
9. Facilitating the availability of domain experts for setting up of CEIT in Papua New Guinea and providing the IT training in India & Papua New Guinea for the entire duration of project
10. Consultancy & Project Management for setting up of CEIT in Papua New Guinea, delivery of IT courses & all technical assistance in running it for the entire duration of the project

Article 2

The Government of Papua New Guinea shall provide the following counterpart assistance for the project:

1. Nominate a suitable agency as the implementing agency on behalf of the Government of Papua New Guinea;
2. Provide building with necessary space, civil refurbishing, electrical wiring, furniture, connectivity (phone/fax/internet), stabilized power with backup, water, heating and air conditioning etc.;
3. Provide free furnished accommodation, local transport, communication & medical facility for CDAC experts deputed/ travelling to Papua New Guinea in connection to the project;
4. Provide office space, communication facility, GRATIS VISA etc. for CDAC experts deputed/ travelling to Papua New Guinea in connection to the project;
5. Exempt the products & services being supplied to Papua New Guinea under the cooperation programme from the payment of custom duties, internal taxes and other fiscal levies;
6. Arrange for customs clearance of supplies from India/ third country at airport / seaport / land port in Papua New Guinea and its transportation to CEIT within the shortest period;
7. Coordinate for local activities during commissioning and training

and provide necessary instruments, tools, local staff etc.;

8. Arrange the trainers to be trained in India and to manage smooth implementation and functioning of CEIT. Government of Papua New Guinea to ensure the availability of faculty members trained in India to work with CEIT for a period of minimum two years;
9. Provide day-to-day financial and management assistance to CEIT in Papua New Guinea including but not limiting to payment of salaries to local staff, internet bandwidth, expenditure on communication, electricity, water, security and other recurring expenditure;
10. Provide statutory approvals and permission required for establishment and operation of CEIT in Papua New Guinea;

Article 3

In order to monitor the proper implementation of the project an India - Papua New Guinea Joint Project Monitoring Committee shall be set up consisting of members from India and Papua New Guinea to facilitate the implementation of the project and review the progress of work done by CDAC

Article 4

Intellectual Property Rights

The hardware and software provided as a result of this assistance will become the property of the Papua New Guinea once the CEIT is handed over to them.

The Intellectual Property Rights (IPR) in respect of the products, solutions, documents developed or created by the implementing agency from India would remain with the Indian Implementing agency (to be nominated by the Ministry of External Affairs in due course) only.

Article 5

Confidentiality and non-disclosure

The parties confirm that neither party shall disclose nor distribute to any third country any information transmitted by the other side in the process of cooperative activities under this memorandum, except as and to the extent authorized in writing to do so by the other party or required by judicial process. Any such information/data/report in public domain should not be treated as confidential.

Article 6

The working language of the Centre shall be in English and all software, course material, training etc. shall be in English language.

Article 7

Any dispute, arising out of the interpretation, implementation or application of this MOU, shall be resolved amicably on the basis of mutual understanding, discussions and consultation between the parties.

Any amendment to this Memorandum shall be done by mutual written consent of the Parties in separate minutes, which shall become an integral part of the Memorandum.

Article 8

The Memorandum of understanding shall enter into force on the date of its signing by the Parties.

The Memorandum terminates in the certificate of completion of the project by the Parties.

Article 9

The project cost, schedule, specifications of IT Hardware / software, e-Mentor & LILA and other details for the implementation of this Memorandum of Understanding will be decided separately by each Party. All documents, which are published for achievement and development of current Memorandum, shall be integral part of this Memorandum.

In WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized thereto, by their representative governments, in accordance with their law, have signed this Memorandum of Understanding.

Done at Port Moresby on 29 April 2016 in two originals, each in Hindi & English, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Republic of India

HE Mr. Nagendra Kumar Saxena
High Commissioner of India to the Independent State of Papua New Guinea

For the Government of Independent State of Papua New Guinea

Mr. William Dihm
Acting Secretary
Department of Foreign Affairs

सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-पपुआ न्यू गिनी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

पपुआ न्यू गिनी स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार के बीच

समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य की सरकार और पपुआ न्यू गिनी स्वतंत्र राष्ट्र की सरकार; जिन्हें इसके बाद "दोनों पक्षकार" कहा गया है,

अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को समझते हुए और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की इच्छा से,

इस संदर्भ में पपुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में "सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-पपुआ न्यू गिनी उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना करके पपुआ न्यू गिनी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु भारत गणराज्य की सरकार की पेशकश पर गौर करते हुए,

साथ ही यह भी गौर करते हुए कि पपुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में "सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-पपुआ न्यू गिनी उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना करके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु पपुआ न्यू गिनी सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत गणराज्य सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था,

निम्नलिखित रूप से सहमत हुए हैं:

अभिकल्पना

विश्व स्तरीय आईटी पेशेवर तैयार करके कुशल कामगारों का एक पूल तथा रोजगार के अवसर सृजन करना ताकि पपुआ न्यू गिनी में निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा सॉफ्टवेयर निर्यात के जरिए राजस्व सृजित किया जा सके।

मिशन

पपुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय में "सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-पपुआ न्यू गिनी उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना करना।

- नवीनतम आईटी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहित एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करना और नवीनतम पाठ्यक्रम सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकों की आपूर्ति करना

▪ पपुआ न्यू गिनी में स्कूल शिक्षकों, विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों तथा सरकारी अधिकारियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा को लागू करने हेतु सीईआईटी का उपयोग करना

▪ सीईआईटी में बुनियादी आईटी, मध्य स्तरीय आईटी तथा उच्च आईटी ने मॉडूलर प्रमाण पत्र पाठ्क्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करना

▪ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पपुआ न्यू गिनी में शिक्षकों तथा आईटी पेशेवरों के कौशल का उन्नयन करना

▪ सीईआईटी के लिए अभिनिर्धारित 6 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए भारत में 6 माह हेतु उच्च आई टी प्रशिक्षण प्रदान करना

▪ पपुआ न्यू गिनी में भारत से दो विशेषज्ञों को दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त करके सीईआईटी को केंद्र समन्वयन तथा पाठ्यक्रम संचालन में सहायता करना।

▪ ऑन लाइन/विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी को भारत के साथ जोड़ना

▪ अकादमी तथा उद्योग के बीच अन्तराल को पाटने के लिए पपुआ न्यू गिनी में सीईआईटी को एक फिनीसिंग स्कूल बनाना। यह कार्य पपुआ न्यू गिनी में अकादमी तथा उद्योग के परामर्श से सीईआईटी में तैयार किए गए आईटी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित उद्योग के लिए तैयार पेशेवरों द्वारा किया जाएगा।

▪ स्वस्थानी अध्ययन के लिए पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी से संबंधित विषय-वस्तु सहित सी-डैक ई-मेंटर (ई लर्निंग तथा एलएमएस) नियुक्त करना

▪ स्वस्थानी हिंदी भाषा अध्ययन के लिए पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी में सी-डैक-लीला (कृत्रिम कुशाग्रता के जरिए भारतीय भाषा अध्ययन) नियुक्त करना

▪ आईटी प्रशिक्षण, ई-मेंटर, लीला तथा परियोजना प्रबंधन की सुपुर्दगी एवं तैनाती हेतु भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना

अनुच्छेद-1

भारत गणराज्य की सरकार एक सहयोग पैकेज प्रदान करेगी जिसमें आईटी अवसंरचना सृजन तथा पाठ्य सामग्री/संदर्भ पुस्तकों की आपूर्ति करना; सी-डैक ई-लर्निंग तथा भाषा अध्ययन सॉफ्टवेयर को कार्य पर लगाना; भारत स्थित सी-डैक में पपुआ न्यू गिनी से आए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निम्नलिखित कार्यों में परियोजना प्रबंधन एवं केंद्र समन्वयन हेतु पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी में सी-डैक विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करना शामिल हैः

1. भारत सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए उच्च संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मनोनीत करना

2. पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी में सुनियोजित आईटी पाठ्यक्रमों तथा अन्य कार्यकलापों के संचालन हेतु अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना स्थापित करना

3. भारत में स्थित सी-डैक के उच्च आईटी पाठ्यक्रमों के संबंध में 6 माह की अवधि के लिए पपुआ न्यू गिनी से आए 6 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना

4. केंद्र समन्वयन तथा पाठ्यक्रम संचालन मे सहायता प्रदान करने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु पपुआ न्यू गिनी के दो सी-डैक विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करना

5. पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी में छात्रों तथा शिक्षकों के लिए स्वस्थानी अध्ययन के लिए विषय वस्तु सहित सी-डैक ई-लर्निंग तथा अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (ई-मेंटर) की तैनाती

6. स्वस्थानी हिंदी भाषा अध्ययन के लिए पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी में सी-डैक-एलआईएलए (कृत्रिम कुशाग्रता के जरिए भारतीय भाषा अध्ययन) नियुक्त करना

7. पपुआ न्यू गिनी तथा भारत में स्थित सीईआईटी में छात्रों तथा प्रशिक्षकों के लिए संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अपेक्षित पाठ्यक्रम सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकें प्रदान करना।

8. दो वर्ष की अवधि के पश्चात पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सी-डैक प्रमाण-पत्र दिया जाना।

9. पपुआ न्यू गिनी में स्थित सीईआईटी की स्थापना करने तथा सम्पूर्ण परियोजना अवधि के दौरान भारत तथा पपुआ न्यू गिनी में आई टी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डोमेन विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना

10. पपुआ न्यू गिनी में सीईआईटी की स्थापना करने, आईटी पाठ्यक्रमों की आपूर्ति करने तथा सम्पूर्ण परियोजना अवधि हेतु इसे संचालित करने में सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श तथा परियोजना प्रबंधन

अनुच्छेद 2

पपुआ न्यू गिनी की सरकार परियोजना के लिए निम्नलिखत समकक्षीय सहायता प्रदान करेगी:

1. पपुआ न्यू गिनी सरकार की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एक उपयुक्त एजेंसी नामित करेगी;

2. आवश्यक स्थान, सिविल नवीनीकरण, बिजली वायरिंग, फर्निचर, संपर्क सुविधा (फोन/फैक्स/इंटरनेट) बैकअप के साथ स्थिर बिजली, पानी, ऊष्मीकरण तथा एयरकंडीशनिंग इत्यादि से युक्त भवन उपलब्ध कराएगी;

3. परियोजना के संबंध में पपुआ न्यू गिनी में प्रतिनियुक्त/वहां की यात्रा करने वाले सी-डैक के विशेषज्ञों को पूर्णतः सुसज्जित आवास, स्थानीय परिवहन, संचार तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी;

4. परियोजना के संबंध में पपुआ न्यू गिनी में प्रतिनियुक्त/वहां की यात्रा करने वाले सी-डैक के विशेषज्ञों के लिए कार्यालय स्थान, संचार सुविधा, निःशुल्क वीजा उपलब्ध कराएगी;

5. इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत पपुआ न्यू गिनी में आपूरित किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं को सीमा शुल्क करों, आंतरिक करों एवं अन्य राजकोषीय उपकरणों से छूट प्रदान करेगी;

6. शीघ्रातिशीघ्र पपुआ न्यू गिनी में भारत/किसी तीसरे देश से आने वाली आपूर्तियों के लिए हवाई अड्डे/बंदरगाह/भूमि बंदरगाह पर सीमा शुल्क अनापत्ति तथा सी ई आई टी में लाने की व्यवस्था करेगी;

7. परियोजना आरंभ किए जाने तथा प्रशिक्षण के दौरान की जाने वाली स्थानीय गतिविधियों का समन्वय करेगी और अपेक्षित उपकरण, पुर्जे, स्थानीय कर्मचारी इत्यादि उपलब्ध कराएगी;

8. भारत में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की व्यवस्था करेगी और सी ई आई टी के सुचारू कार्यान्वयन एवं कार्यक्रम का प्रबंधन करेगी। पपुआ न्यू गिनी की सरकार कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए सी ई आई टी में कार्य करने के लिए भारत में प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी;

9. पपुआ न्यू गिनी में सी ई आई टी को दैनंदिन वित्तीय एवं प्रबंधन सहायता प्रदान करेगी जिसमें स्थानीय कर्मचारियों को वेतन, इंटरनेट बैंडविथ, संचार, बिजली, जल, सुरक्षा तथा अन्य आवर्ती व्यय का भुगतान तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं;

10. पपुआ न्यू गिनी में सी ई आई टी की स्थापना एवं प्रचालन हेतु कानूनी अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रदान करेगी;

अनुच्छेद 3

परियोजना के समुचित कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक भारत- पपुआ न्यू गिनी संयुक्त परियोजना निगरानी समिति गठित की जाएगी जिसमें भारत और पपुआ न्यू गिनी से सदस्य शामिल होंगे और जिसका उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और सी-डैक द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना होगा।

अनुच्छेद 4

स्वामित्व और बौद्धिक संपदा अधिकार

इस सहायता के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सी ई आई टी का हस्तांतरण किए जाने के बाद पपुआ न्यू गिनी गणराज्य सरकार की संपत्ति हो जाएगी।

भारत के कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित या सृजित उत्पादों, समाधानों एवं दस्तावेजों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) सिर्फ भारत की कार्यान्वयन एजेंसी (बाद में विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा) के पास रहेंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्षकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों में से कोई भी पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चलाई जाने वाली सहकारी गतिविधियों की प्रक्रिया में दूसरे पक्ष द्वारा दी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा बशर्ते कि दूसरे पक्षकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत न किया जाए अथवा ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित हो। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इस प्रकार की सूचना/आंकड़े/रिपोर्ट को गोपनीय नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

इस केंद्र में कार्य की भाषा अंग्रेजी होगी तथा सभी सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण इत्यादि अंग्रेजी भाषा में होगा।

अनुच्छेद 7

इस समझौता-ज्ञापन की व्याख्या, कार्यान्वयन अथवा अनुप्रयोग के संबंध में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका निपटारा दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श तथा बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।

इस ज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अलग-अलग कार्यवृत्तों में दोनों पक्षकारों की लिखित आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा जो इस ज्ञापन का अभिन्न भाग होगा।

अनुच्छेद 8

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा।

दोनों पक्षकारों द्वारा इस परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र दिए जाने पर यह समझौता ज्ञापन रद्द हो जाएगा।

अनुच्छेद 9

परियोजना लागत, अनुसूची, हार्डवेयर/साफ्टवेयर/ई-मेंटर तथा लीला की विशेषताएं तथा इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन हेतु अन्य ब्यौरों से संबंधित निर्णय प्रत्येक पक्षकार द्वारा अलग-अलग लिया जाएगा। वर्तमान ज्ञापन की उपलब्धियों एवं विकास हेतु प्रकाशित सभी दस्तावेज इस ज्ञापन के अभिन्न भाग होंगे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी संबंधित सरकारों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अनुसरण में विधिवत प्राधिकृत होकर इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पोर्ट मोर्सबी में वर्ष 2016 के अप्रैल माह के 29वें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न; दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से	पपुआ न्यू गिनी की सरकार की ओर से
नामः नागेन्द्र कुमार सक्सेना	नामः
पदनामः पपुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त	पदनामः